# षोडश

# बिहार विधान सभा

## दशम सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

### वर्ग-1

सोमवार, तिथि 1 श्रावण, 1940 (श0) / 23 जुलाई, 2018 (ई0)

**प्रश्नों की कुल संख्या 03**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | सामान्य प्रशासन विभाग .. .. | 01 |
| (2) | गृह विभाग .. .. | 01 |
| (3) | गन्ना उद्योग विभाग .. .. | 01 |
| | कुल योग — | 03 |

सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित करना

1. श्री भाई बीरेन्द्र--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 जून, 2018 को प्रकाशित शीर्षक "पटना के थानों में लाखों खर्च कर लगी तीसरी आँख फेल" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु राज्य के 1,056 थानों/जगहों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने का जुलाई, 2016 में लिये गये फैसले के आलोक में ज्यादातर थानों/जगहों पर कैमरे स्थापित कर दिये गये जिसपर करीब 282 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च हुये ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के तमाम थानों/जगहों पर स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरा नियमित देख-रेख के अभाव में खराब हो जाने से सारा उपकरण कबाड़ बनकर रह गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित करने का क्या औचित्य है ?

---

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अनारक्षित पद पर समायोजन

2. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर सभी जाति यथा सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवेदन कर सकते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग के लोग अनारक्षित पदों पर मेधा के अनुसार आते हैं तो उसे अनारक्षित श्रेणी में चयनित किया जाता है जबकि वर्तमान में आरक्षित श्रेणी लिखने से उसे मेधा रहने पर भी आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाता हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनारक्षित श्रेणी के 50 प्रतिशत पद को Open (ओपेन) श्रेणी सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये घोषित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

राशि का भुगतान

3. श्री राघव शरण पाण्डेय--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के लौरिया, बगहा चीनी मिल सहित अन्य चीनी मिलों को वर्ष 2017-18 में किसानों द्वारा आपूर्ति की गयी गन्ना के मूल्य भुगतान में 1,100 करोड़ की राशि अभीतक बकाया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

पटना :
दिनांक 23 जुलाई, 2018 (ई0) ।

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 38-डी0टी0पी0-550